जैविक संसाधनों तक पहुँच एवं व्यापार का विनियम:

जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के अधिकार एवं दायित्व

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार सरकार

अधिसूचित जैविक संसाधनों/उत्पादों के व्यापार, वाणिज्यिक संग्रहण और उपयोग के सम्बन्ध में जैव विविधता प्रबन्ध समिति के अधिकार एवं दायित्व।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) की धारा 7 तथा जैव विविधता नियम, 2004 (संशोधन 2024) का नियम सं०–19 (1)

1. पंचायतों के अधिकार क्षेत्र से संग्रहित वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों अथवा उत्पादों (जिनमें पेड़, घास, अनाज, तेलहन, दलहन, चारा, पुष्प, औषधीय कन्द, फल–फूल, बांस, पौधो के फल–फूल, पत्ते, टहनियाँ, छाल इत्यादि सम्मिलित हैं तथा जो अधिनियम के प्रावधानों से विमुक्त नहीं है) के व्यापार हेतु संग्रहण, भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं आपूर्ति जैसे क्रिया–कलापों को विनियमित करने का अधिकार पंचायतों की **जैव विविधता प्रबन्धन समितियों** को प्रदत्त है।

   उल्लेखनीय है कि 421 जैविक वनस्पति संसाधन/उत्पादों को केन्द्र सरकार की अधिसूचना सं० 1352(अ) तिथि 07.04.2016 तथा अधिसूचना सं० 3533(अ) तिथि 07.11.2017 द्वारा जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों से विमुक्त किया गया है। विमुक्त जैविक वनस्पति संसाधन/उत्पादों की सूची बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

   अन्य सभी जैविक संसाधनों/उत्पादों पर जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन 2023) के प्रावधान प्रभावी हैं। ऐसे जैविक संसाधनों/उत्पादों में कालमेघ, काली मुसली, मरोड़ फली, अनंत मूल, केवांच, सतावर, अर्जुन का छाल इत्यादि सम्मिलित हैं। इनकी संक्षिप्त जानकारी संलग्न है।

2. जिन मामलों में विनियमित जैविक संसाधन खेती द्वारा उगाये जाते हैं, उनके व्यापार क्रिया–कलापों के लिये भी छूट का प्रावधान है। परन्तु यह छूट तभी मिलेगा, जब संग्रहित एवं भण्डारित, क्रय–विक्रय/आपूर्ति होने वाले ऐसे जैव संसाधनों के स्रोत के सम्बन्ध में जैव विविधता नियम, 2004 (संशोधन 2024) के नियम सं० 19 (1) के प्रपत्र 11 में पंचायत की जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा **उत्पत्ति प्रमाण–पत्र** जारी किया जाय। ऐसे उत्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये सम्बधित व्यापारी द्वारा स्वघोषणा प्रपत्र–11 में सम्बधित जैव विविधता प्रबन्धन समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसकी प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

   (i) पंचायत की अधिकारिता क्षेत्र में खेती से उगाये गये ऊक्त विनियमित वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों/उत्पादों के व्यापार में संलग्न व्यक्तियों द्वारा संलग्न प्रपत्र में सूचनाओं को भरकर स्वघोषणा/आवेदन सम्बन्धित पंचायत/पंचायतों की जैव विविधता प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष अथवा समिति के सचिव (पंचायत सचिव) को समर्पित की जानी है।

   (ii) स्वघोषणा/आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा की जायगी जो जैव विविधता प्रबन्धन समिति के कोष में अन्तरित होगी।

   (iii) इसके उपरान्त सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा अपेक्षित जाँच/सत्यापन/सम्पुष्टि के पश्चात उसी प्रपत्र में 15 दिनों की अवधि में उक्त व्यापार के जैविक संसाधनों/उत्पादों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जायगो।

(iv) यह प्रमाण–पत्र 4 प्रतियों में सम्बन्धित जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित तथा अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।
इसकी एक प्रति सम्बन्धित व्यापारी को दी जायगी, एक –एक प्रति सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी तथा सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् को उपलब्ध करायी जायगी।

3. पंचायत की अधिकारिता क्षेत्र से अधिनियम की धारा–7 के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा वैसे जैविक संसाधन/उत्पाद अथवा उनसे संबंधित ज्ञान, जो सामान्य छूट की श्रेणी में नहीं हों (जिनके लिये विधि और प्रक्रिया उपर्युक्त कण्डिका (2) में वर्णित है) उनके सम्बन्ध में व्यापार (पहुँच, संग्रहण, भण्डारण, आपूर्ति श्रृखंला, बिक्री) का क्रिया–कलाप (प्रक्रिया) निम्नानुसार विनियमित होगी :

(i) व्यापार करने वाला व्यक्ति (आवेदक) बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 के प्रपत्र–1 संलग्न में वांछित व्यापार की प्रकृति का ब्यौरा/विनिर्दिष्ट जानकारी पर्षद् को देगा।

(ii) प्रत्येक आवेदन के साथ शुल्क के रूप में पर्षद् के पक्ष में भुगतेय 10,000/– का चेक या डिमाण्ड ड्रॉफ्ट संलग्न होगा।

(iii) पर्षद् द्वारा प्राप्त आवेदन में उल्लिखित निर्दिष्ट जैविक संसाधन/उत्पाद के व्यापार की स्वीकृति के पूर्व पर्षद द्वारा संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों से परामर्श लिया जायेगा।

(iv) आवश्यक जाँचोपरान्त यथासम्भव छः माह की कालावधि के भीतर पर्षद् द्वारा आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा। कोई आवेदन अस्वीकृत करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(v) जैव विविधता से प्राप्त होने वाले लाभों पर प्रतिकूल/हानिकारक प्रभाव डालने वाले आवेदित कृत्यों/जैव संसाधनों के व्यापार को पर्षद् द्वारा प्रतिबंधित/वर्जित किया जा सकता है।

(vi) जैव संसाधनों के व्यापार संबंधी स्वीकृति आदेश के आलोक में पर्षद् के प्राधिकृत पदाधिकारी तथा आवेदक के बीच लिखित करार सम्पादित किया जायेगा।

(vii) उपरोक्त करार की वैधता एक वर्ष के लिए होगी। इसके विस्तार के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया अन्तर्गत पुनः आवेदन समर्पित करना होगा।

(viii) जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त फायदा का 1.0 से 3.0 प्रतिशत की राशि (जो पर्षद् द्वारा तय की जायेगी) संबंधित व्यापारी द्वारा पर्षद् कार्यालय में जमा करना होगा।

(ix) कंडिका (viii) में प्राप्त राशि को संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों, जिनके अधिकार क्षेत्र से जैविक संसाधनों का व्यापार किया गया है, को पर्षद् द्वारा हस्तानान्तरित किया जायेगा। इस राशि का उपयोग जैव विविधता प्रबन्धन समिति द्वारा पर्षद् के मार्गदर्शन अनुसार पंचायत क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण–संवर्धन सम्बन्धी क्रिया–कलापों में किया जायगा।

प्रपत्र–1

बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 का नियम 19 (1) देखें)

जैव विविधता संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच / संग्रहण करने से पूर्व सूचना का आवेदन प्रपत्र

प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ ₹10000 (दस हजार रूपये) मात्र का पर्षद के पक्ष में निर्गत डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है।

भाग-'क'

1. आवेदक का पूर्ण विवरण

(i) गाम :
(ii) स्थाई पता :
(iii) आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम एवं पता :
(iv) संगठन का विवरण (आवेदक यदि कोई व्यक्ति है तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण) कृपया अधिप्रामाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें :
(v) कारोबार की प्रकृति :
(vi) संगठन का भारतीय मुद्रा में उत्पादन क्षमता :

2. वांछित पहुँच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुँच किए जाने वाले संबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।

(क) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान (वैज्ञानिक नाम)
(ख) बिहार में प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति (जिसमें गाँव, प्रखण्ड और जिला सम्मिलित हो) :
(ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन और इसके मौजूदा अभिव्यक्तियों और उपयोग (मौखिक / अभिलिखित) के विवरण :
(घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यक्ति/समुदाय :
(ङ) संग्रहित किए जाने वाले जैव संसधानों का परिमाण (अनुसूची दें) :
(च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है।
(छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या :
(ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुँच का अनुरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत अनुसंसाधन की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किये जाने की संभावना भी हो :
(झ) क्या संसाधन के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुँच से उत्पन्न हो सकेगा :

3. पहुँच किए गए जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के उपयोग से समुदायों को संभावित / अपेक्षित लामों का आकलन।
4. लाम की हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएँ।
5. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएँ।

भाग-'ख'

घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि-

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीय उपलब्धता (sustainability) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

स्थान :
तारीख :

हस्ताक्षरित
नाम / पदनाम :

प्रारूप–11

{जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 7 और जैव विविधता नियम, 2024 का नियम 19(1) देखें}

खेती की जाने वाली औषधीय पौधों के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन सह प्रमाण पत्र।

(जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा जारी किया जाएगा)

विशिष्ट पहचान संख्या (बीएमसी द्वारा विनिर्दिष्ट अल्फा संख्यात्मक) कोड : राज्य/जिला/मंडल/तालुक/कस्बा/गांव/बीएमसी/वर्ष/कंपनी का नाम/संख्यात्मक संख्या		
क्र.सं.	**विवरण**	**आवेदक द्वारा भरा जाना है**
(1)	जैव विविधता प्रबंधन समिति का नाम	: (गांव या शहर/जिला/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
(2)	आवेदक का नाम	:
(3)	पूर्ण पता (पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकिल्प मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता)	:
(4)	उपयोग की जाने वाली प्रजातियों और किस्मों का नाम	: क. साधारण नाम ख. वैज्ञानिक नाम (जीनस और प्रजाति/किस्म/उपभेद, (यदि ज्ञात हो) ग. पार्ट्स
(5)	कृषक/किसान का नाम	:
(6)	पिन कोड, ईमेल, मोबाइल और वैकल्प मोबाइल नंबर और/या लैंडलाइन नंबर सहित डाक पता	:
(7)	खेती योग्य क्षेत्र के भू–निर्देशक	: (यदि ज्ञात हो)
(8)	भूमि का सर्वेक्षण क्रमांक	:
(9)	औषधीय पौधों की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल का विस्तार (एकड़ में)	:
(10)	उगाए जाने वाले औषधीय पौधों की अनुमानित मात्रा जिसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक है	: *(किलोग्राम/क्विंटल/टन/गठारी)* सूखा वजन या गीला वजन
(11)	अनुमति का उद्देश्य	:
(12)	अनुमति की अवधि	:
(13)	औषधीय पौधों की कीमत *(प्रति किलोग्राम/क्विंटल/टन/गठारी)*	: {.....(माह).....(माह) तक}

मैं/हम घोषणा करते हैं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है।

स्थान : **हस्ताक्षर :**
तारीख : **नाम :**

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी/कारोबार/व्यष्टि/संस्थान द्वारा किए गए अनुरोध की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और औषधीय पौधों का क्षेत्र में भौतिक सत्यापन किया गया है। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा रखी गई संबंधित पुस्तकों [पृष्ठ संख्या.....क्रम संख्या..... तारीख.....] से सत्यापित की गई है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त औषधीय पौधे संवर्धित स्रोत से हैं और जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 7, इन नियमों के नियम 19 के साथ पठित, के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

यह प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख से **दो वर्ष तक** वैध है।

स्थान : (नाम)

तारीख : बीमएसी के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर एवं मुहर

औषधीय पौधों की संक्षिप्त सूची जिनपर जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान प्रभावी हैं।

क्र० सं०	औषधीय पौधों	औषधीय महत्व	पौधों का विविरण/पादप भाग
1.	**काली मूसली** (Curculigo orchioides/ कर्कुलिगो ऑर्कियोइड्स)	जड़ टॉनिक, एंटीपाइरेटिक, कार्मिनेटिव (carminative) आदि होता है। इसका इस्तेमाल अपच, डायरिया, गोनोरिया, जोड़ों का दर्द, हाइड्रोफोबिया, ब्रोनकाइटिस, ऑफ्थैल्मिा आदि रोगों के इलाज में किया जाता है।	
2	**मरोड़ फली** (Helicteres isora/ हेलिक्टेरस इसोरा)	फलों और जड़ों का उपयोग मधुमेह, कैंसर और संक्रमण सहित कई प्रकार की स्थितियों के उपचार में उपयोगी माना जाता है।	
3	**अनंतमूल** (Hemidesmus inducus हेमिडेसमस इंडिकस)	जड़ों का उपयोग मधुमेह, विषम रक्तचाप,श्वसन रोग और पीलिया जैसे रोगों में रक्तशोधक के रूप में उपयोगी होता है।	
4	**कालमेघ** (Andrographis paniculata/ एंडोग्रेफिस पैनिकुलाटा)	सामान्य बुखार व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर पेट की गैस, कीड़े, कब्ज, लिवर की समस्याओं इत्यादि के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है।	
5	**कौंच** अथवा **केवांच** (Mucuna pruriens/ म्युक्युना प्रुरिएन्स)	पार्किंसन रोग, गठिया, और यौन दुर्बलता, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने, पाचन को सुधारने, और हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है।	

क्र० सं०	औषधीय पौधों	औषधीय महत्व	पौधों का विविरण/पादप भाग
6	**सतावर, शतावार, शतावारी, अथावा सतावरी** (Asparagus racemosus/ ऐस्पेरेगस रेसीमोसस)	सतावर का इस्तेमाल दर्द कम करने, महिलाओं में स्तन्य (दूध) की मात्रा बढ़ाने और मूत्र विसर्जन के समय होने वाली जलन को कम करने में किया जाता है। इसकी जड़ पाचन तंत्र की बीमारियों के इलाज, टयूमर, गले के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस और कमजोरी में फायदेमंद होती है। यह पौधा कम भूख लगने व अनिद्रा की बीमारी में भी फायदेमंद है।	
7	**कुटज** (Holarrhena antidysenterica/ हौलोरेना ऐन्टिडिसेन्ट्रिका)	पेट खराब होने, बार–बार पतला शौच आने, शौच के साथ खून आने की बीमारी, पित्त, आम (आंव) आदि की स्थिति या फिर पेट में मरोड़ के साथ दस्त होने पर कुटज का सेवन बहुत ही लाभकारी होता है।	
8	**पाटला** अथवा **पाढ़ल** (Stereospermum suaveolens/ स्टीरियोस्पर्मम सुवेओलेंस)	पाटला के फूल बवासीर और कंजक्टीवाइटिस जैसी समस्याओं में बहुत उपयोगी हैं।	
9	**अर्जुन (छाल)** (Terminalia arjuna/ टर्मिनलिया अर्जुन)	हाई बीपी, हार्ट अटैक तथा मोटापे की घातक बीमारी के अलावा यह पेट दर्द, बुखार और खांसी में भी बेहद कारगर है।	
10	**अग्रिमन्था** (Premna integrifolia/ प्रेमना इंटीग्रिफोलिया)	जोड़ों की तकलीफ त्वचा की स्थिति और श्वसन संबंधी समस्याओं को दूर करने की क्षमता के लिए किया जाता है।	

Printed by- India Printers, Cinema Road Hajipur, Mob- 9931491450

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार सरकार